इलेक्शन्स कैनेडा – **मतदाता सूचना गाइड**

हम मिलकर भविष्य का निर्माण करेंगे ।

"यहां पर, मैं अपने भविष्य का चुनाव कर सकती हूं "

"यह मेरे परिवार के लिए एक बेहतर जगह है"

"मेरे बच्चों को यहां अनेक अवसर सुलभ हो सकते हैं।"

वोट क्यों दें ?

वोट देना हमारा मूल अधिकार है और वोट देकर हम यह फैसला करते हैं कि हमारी ओर से उन नियमों को बनाने में कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा , जिनका पालन करते हुए हम साथ–साथ रहना स्वीकार करते हैं।

चुनावों का क्या अर्थ है?

चुनाव में, हम अपने निर्वाचन जिले में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वही चुना जाता है।

उसके बाद वह संसद सदस्य बन जाता/जाती है।

अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय इलेक्शन्स कैनेडा कार्यालय से संपर्क करें।
आपको हमारी वेबसाइट पर अथवा हमारे निःशुल्क नंबर पर टेलीफोन करके नंबर मिल जाएगा।

www.elections.ca

1 800 463-6868 (निःशुल्क)

TTY **1 800 361-8935**

ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो बहरे हों अथवा कम सुनते हों।

Elections Canada

EC90243 (0404) / Hindi/Hindi

इलेक्शन्स कैनेडा – मतदाता सूचना गाइड

जिन शब्दों के बारे में मुझे जानना आवश्यक है

मतदाता कैनेडा का नागरिक है, जिसकी उम्र मतदान के दिन कम से कम 18 वर्ष हो।

उम्मीदवार वे व्यक्ति हैं, जो चुने जाने के इच्छुक हैं।

मतदाता सूची में उन लोगों के नाम शामिल रहते हैं, जो वोट देने के लिए पंजीकृत होते हैं।

मुझे अपना **वोटर इन्फॉर्मेशन कार्ड** डाक से मिला । इससे पुष्टि हो जाती है कि मतदाता सूची में मेरा नाम है तथा वोट कब और कहां डालना है।

मतदान केंद्र वह जगह है, जहां मुझे वोट देने जाना है।

उप–चुनाव अधिकारी मुझे एक मतपत्र देता है। वह मतदाताओं को मतपत्र पर निशान लगाने में भी मदद कर सकता / सकती है।

जब मैं अपना वोट दे देता/देती हूं, तो **मतदान क्लर्क** वोटर लिस्ट से मेरे नाम को काट देता है।

मतपत्र वह कागज है, जिस पर मेरे निर्वाचन जिले के उम्मीदवारों के नाम दिए होते हैं।

कैनेडा में मतदान **गुप्त मतपत्र** द्वारा होता है।

वोटिंग स्क्रीन वह निजी क्षेत्र है, जिसके पीछे जाकर मुझे मतपत्र पर अपनी पसंद चुनकर उस पर निशान लगाना होता है।

मतपत्र पर निशान लगाने के बाद मुझे उसे उप–चुनाव अधिकारी को लौटाना होता है, जो टैब को फाड़ देता है। किंतु, वह मतपत्र को खोलता नहीं है, ताकि मेरा वोट गुप्त रहे। उसके बाद मुझे मतपत्र को **मतपेटी** में डालना होता है।

चुनाव – मुझे अपनी पसंद का चुनाव करना होता है

जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, मुझे डाक द्वारा एक **मतदाता सूचना कार्ड** मिलना चाहिए। इससे यह पुष्टि हो जाती है कि **मतदाता सूची** में मेरा नाम मौजूद है।

यह कार्ड महत्वपूर्ण है।

यह बताता है कि मुझे कैसे, कब और किस स्थान पर वोट डालना है।

यदि मुझे अपना कार्ड नहीं मिलता, तो मुझे यह पता करने के लिए **इलेक्शन्स कैनेडा** से **संपर्क** करना होगा कि मतदाता सूची में मेरा नाम कैसे शामिल किया जा सकता है, ताकि मैं वोट दे सकूं।

मैं चुनाव की अवधि के दौरान इलेक्शन्स कैनेडा की वेबसाइट ूण्मसमबजपवदेण्बं पर जाकर **उम्मीदवारों के नाम** मालूम कर सकता/सकती हूं। रेडियो सुनकर, टेलीविजन देखकर, अखबार पढ़कर और मित्रों व परिवार के सदस्यों के साथ बात करके भी मैं उम्मीदवारों के नाम और उनकी नीतियों के बारे में जान सकता/सकती हूं। मैं उसी उम्मीदवार को चुनूंगा/चुनूंगी, जिसे **मैं अपना प्रतिनिधि बनाना** चाहूंगा/चाहूंगी।

मुझे वोट कैसे देना है?

मैं तीन तरीकों से वोट दे सकता/सकती हूं।

मैं एक अग्रिम मतदान पर वोट दे सकता/सकती हूं।

अग्रिम मतदान उन लोगों के लिए होते हैं, जो चुनाव के दिन वोट नहीं डाल सकते या उस दिन वोट नहीं डालना चाहते।

सभी मतदाता अग्रिम मतदान पर वोट दे सकते हैं।

मैं अपने वोटर इन्फॉर्मेशन कार्ड से अथवा कार्ड पर दिए हुए इलेक्शन्स कैनेडा के टेलीफोन नंबर पर संपर्क करके अग्रिम मतदान के समय और स्थान के बारे में मालूम कर सकता/सकती हूं।

मैं विशेष मतपत्र द्वारा वोट डाल सकता/सकती हूं।

विशेष मतपत्र से मतदान करना हो तो डाक द्वारा अथवा अपने निर्वाचन जिले के **रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय** में जाकर कर सकते हैं।

मैं अधिक जानकारी के लिए इलेक्शन्स कैनेडा से संपर्क कर सकता/सकती हूं।

चुनाव के दिन मैं स्वयं जाकर वोट दे सकता/सकती हूं।

चुनाव के दिन, मैं वोट देने के लिए अपने मतदान केंद्र पर जा सकता/सकती हूं।

मतदान की तारीख, समय और मतदान केंद्र का पता वोटर इन्फॉर्मेशन कार्ड पर दिए होते हैं।

मतदान केंद्र पर, मुझे वह मेज ढूंढनी होती है जिस पर वही नंबर हो जो मेरे वोटर इन्फॉर्मेशन कार्ड पर दिया गया है।

मेज पर दो चुनाव अधिकारी हैं: **डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर** और **पोल क्लर्क।**

मैं अपना नाम और पता **डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर** को बताता/बताती हूं। अधिकतर लोगों के नाम वोटर्स लिस्ट में पहले से ही दर्ज होते हैं।

यदि मेरा नाम वोटर्स लिस्ट में न हो, तब भी मेरे पास मौका है कि मैं **चुनाव के दिन अपना नाम दर्ज करवा सकता/सकती** हूं। मैं अपने मतदान केंद्र पर अपनी पहचान **और आवास का प्रमाण** देकर डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर के पास नाम दर्ज करवा सकता/सकती हूं। अपनी पहचान और आवास का शपथयुक्त वक्तव्य देकर और अपने साथ एक ऐसा मतदाता जो उसी पोलिंग डिविजन में दर्ज हो और जो मेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो, को लाकर भी अपना नाम दर्ज करवा सकता/सकती हूं।

यह दिखाने के लिए कि मैंने अपना वोट डाल दिया है, पोलिंग क्लर्क वोटर्स लिस्ट में **मेरे नाम पर क्रॉस का चिन्ह लगा देता है।**

डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर मुझे एक मोड़ा हुआ मतपत्र देता है।

यदि मतपत्र पर चिन्ह लगाने में मुझे कोई कठिनाई होती है, तो वह व्यक्ति **मेरी सहायता** भी कर सकता है।

मैं अपनी सहायता के लिए किसी मित्र अथवा परिवार के सदस्य को भी मतदान केंद्र पर अपने साथ ला सकता/सकती हूं।

मैं वोटिंग स्क्रीन के पीछे जाता/जाती हूं। कोई भी नहीं देख सकता कि मैंने किसे वोट दिया।

जिस उम्मीदवार को मैं चुनता/चुनती हूं, उसके नाम के बगल में दिए गए गोले में मैं एक **X का निशान लगा देता/देती हूं।**

मैं अपना मतपत्र मोड़ देता/देती हूं, जिससे मेरा वोट गुप्त रहता है।

मैं अपना मोड़ा हुआ मतपत्र डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर के पास वापस लाता/लाती हूं, **जो टैब को फाड़ देता है।**

डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर मुझे मेरा मतपत्र लौटा देता है।

मैं अपना मतपत्र मतपेटी में डाल देता/देती हूं।

अधिक जानकारी के लिए: **www.elections.ca 1 800 463-6868** (निःशुल्क)

Elections Canada